[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना संख्या 08/2024-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 10 अप्रैल, 2024

का.आ...(अ).- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 04/2024- केंद्रीय कर, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 85 (अ), तारीख 5 जनवरी, 2024, द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के पैरा 4 में, 1 अप्रैल, 2024 शब्दों और अंकों के स्थान पर " 15 मई 2024" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(2) यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी मानी जाएगी।

[फा.सं. सीबीआईसी-20001/7/2023-जीएसटी]

(राघवेंद्र पाल सिंह)

निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 04/2024-केन्द्रीय कर, तारीख 5 जनवरी, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii), में संख्यांक का.आ. सं. 85 (अ), तारीख 5 जनवरी, 2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी।